संख्या-17/2024/002-179-12-5-2024-1790921-12-5099-16-2024

प्रेषक,

विनीत प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-कृ०र०/1829/लेखा/पौध संर०/2023-24, दिनांक 01.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत से लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद 10-जलकर/जलप्रभार में रू० 24.50 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में 215.00 लाख, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष में रू० 7.10 लाख अर्थात कुल धनराशि रू० 246.60 लाख (रूपये दो करोड़ छियालिस लाख साठ हजार मात्र) के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई.संख्या–बजट-1-524 दिनांक 01.03.2024 में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-सयम पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	10 जलकर / जल प्रभार	24,50,000 (रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र)
2	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	49 चिकित्सा व्यय	2,15,00,000 (रुपये दो करोड़ पंद्रह लाख मात्र)
3	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	7,10,000 (रुपये सात लाख दस हजार मात्र)
	कुल			**2,46,60,000** **(रुपये दो करोड़ छियालीस लाख साठ हजार मात्र)**

महायोग	2,46,60,000 (रुपये दो करोड़ छियालीस लाख साठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विनीत प्रकाश
विशेष सचिव।

संख्या-17/2024/002-179-12-5-2024-1790921-12-5099-16-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संबंधित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनीत प्रकाश
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-179-12-5-2024-1790921-12-5099-16-2024

विषय:- पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	01 (वेतन)	1,10,62,71,000 रुपये एक अरब दस करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार मात्र	2,46,60,000 रुपये दो करोड़ छियालीस लाख साठ हजार मात्र	-2,46,60,000 रुपये दो करोड़ छियालीस लाख साठ हजार मात्र	1,08,16,11,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	49 (चिकित्सा व्यय)	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	2,15,00,000 रुपये दो करोड़ पंद्रह लाख मात्र	2,50,00,000	2023-2024
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	10 (जलकर / जल प्रभार)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र	24,50,000 रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र	26,00,000	2023-2024
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	52 (पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय))	0	7,10,000 रुपये सात लाख दस हजार मात्र	7,10,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

- वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-10 में अंकित व्यायाधिक्य निम्नलिखित कारणों से है:-

- मानक मद 10-जलकर/जलप्रभार, 49-चिकित्सा व्यय मद, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष, में वास्तविक मांग अधिक होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-< बजट-1-524 > -2023-24, दिनांक- 01/03/2024 ~~फरवरी, 2024~~

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

अपर सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी

Date: 01-03-2024 12:37:32

Reason: Approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20232024-179-12-5-2024-1790921-12-5099-16-2024, दिनांक 01/03/2024 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।